

हरियाणा सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
राजनैतिक शाखा  
आदेश

दिनांक 10 सितम्बर, 2017.

संख्या 41/16/2017-5पोल- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डाक्टरों द्वारा कोई भी हड़ताल सामुहिक जीवन के लिए स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएँ गम्भीर रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की आगे संतुष्टि हो गई है कि उक्त विभाग में डाक्टरों द्वारा हड़ताल का प्रतिषेध लोक हित में है तथा हड़ताल का प्रतिषेध आवश्यक है;


इसलिए अब, हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 40), की धारा 4 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी डाक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल का प्रतिषेध करते हैं ।

डी.एस.ढेसी  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 41/16/2017-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 10 सितम्बर, 2017.

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा, चण्डीगढ़ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है । उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को हरियाणा सरकार के आज के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करें तथा इसकी 50 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग (राजनैतिक शाखा) को भिजवाये ।


  
अवर सचिव राजनैतिक  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 41/16/2017-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 10 सितम्बर, 2017.

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग ।


  
अवर सचिव राजनैतिक  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 41/21/2010-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 10 सितम्बर, 2017.

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

1. सभी मण्डल आयुक्त हरियाणा ।
2. सभी उपायुक्त हरियाणा ।
3. निदेशक, सूचना एवं लोक सर्मर्पक विभाग हरियाणा ।
4. महानिदेशक, पुलिस हरियाणा पंचकूला ।

  
अवर सचिव राजनैतिक  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

**HARYANA GOVERNMENT  
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
POLITICAL BRANCH  
ORDER**

The 10<sup>th</sup> September, 2017

No. 41/16/2017-5Pol.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that any strike by the doctors working in the Health Department, Haryana shall gravely affect the health and essential services for the life of the community.

And whereas, the Governor of Haryana is further satisfied that the prohibition of strike by the doctors of the said department is in public interest and it is necessary to prohibit a strike;


Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (40 of 1974), the Governor of Haryana hereby prohibits any strike by all doctors in the aforesaid department for a period of six months from the date of publication of this order in the Official Gazette.

D.S. Dhesi  
Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 41/16/2017-5Pol

Dated Chandigarh the 10<sup>th</sup> September, 2017.

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery, Haryana, Chandigarh for immediate necessary action. He is requested to published this order in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary) of today and supply 50 spare copies of the same to the General Administration Department (in Political Branch)


  
Under Secretary Political,  
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst No. 41/16/2017-5Pol

Dated Chandigarh the 10<sup>th</sup> September, 2017.

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Additional Chief Secretary to Government, Haryana.  
Home Department.
2. Additional Chief Secretary to Government, Haryana.  
Health Department.


  
Under Secretary Political,  
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst No. 41/16/2017-5Pol

Dated Chandigarh the 10<sup>th</sup> September, 2017.

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Divisional Commissioners in the State of Haryana.
2. All the Deputy Commissioner in the State of Haryana.
3. Director, Information & Public Relations Department, Haryana.
4. Director General of Police Haryana, Panchkula.

  
Under Secretary Political,  
for Chief Secretary to Government, Haryana.